वित्तीय स्वीकृति

संख्या-24/591/52-3-14-बजट(2)/2014

प्रेषक,

देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभ□□-3, □□□□: दिनांक 22 अप्रैल, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप □0-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14.3.2014 के प्रस्तर-2(1), 2(6) □ 2(8) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में दिनांक 8.11.2000 □□ सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों केा पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु तथा दिनांक 8.11.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु आय व्ययक में प्रस्तावित धनराशि क्रमशः रू0 35.00 लाख तथा रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष 04 □□ □□□□□□□ के रूप में पारित धनराशि क्रमशः रू0 11.66 लाख तथा □0 500.00 लाख अर्थात कुल रू0 5,11,66,000/-(रू0 □□च करोड़ ग्यारह लाख छाछठ हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों

एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया □□□□

(2) पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के सापेक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पेंशनादि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/□□□□□□ प्रमाण पत्र □□□ □□ 04 माह के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराय □□□□

(4) □□□□□ □□ □□□□ (□□टमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □□, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□□□□□ □□□तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 के मूल आय व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2014 के लिए दिनांक 5-3-2014 से आदर्श □□व आचार सहिंता लागू है। अतः धनराशि के व्यय हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार सहिंता में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-48 के लेखाषीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-109-

राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को पेंशन-आयोजनेत्तर-03-पेंशन आदि का □□□□-0301- दिनांक 08.11.2000 तक सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी-33-पेंशन/आनुतोषिक /अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा 0302- दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के नामे डाला ज□□□

5- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्या-591(1)/52-3-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,□0प्र0, □□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□, □0प्र0 □□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704, □□□□ □□□, □□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□-0(02 प्रतियों में)/नियो□□ □□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(रकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□

http://shasanadesh.up.nic.in